फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत –उप खण्ड अधिकारी, मुकाम सोजत

प्रार्थीगण:– हरिराम पुत्र भोलाराम पांची बनाम अप्रार्थीगण:– तहसीलदार, सोजत जवाबदावा,

जाति पांची सा0 सोजतसिटी सोजत ~~जाति~~ — ~~सा0~~ — तह0 सोजत

किस्म मुकदमा:– राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 (1) RAd 1956 नम्बर 223/ सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुआ।
30-5-2018	वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने राजस्व प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 (1) RAd 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश किया है। राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनॉक 6-6-2018 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी, सोजत (जिला –पाली)	
06-06-2018	पत्रावली न्याय आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत राजस्व लोक अदालत [illegible] सोजत पर पेश हुई। [illegible] मुकर्रर तारीख पेशी 07-09-2018 बमुकाम सोजत पर पेश हो। एस.डी.ओ. सोजत	
07-09-18	वकीलान अनुपस्थित। आज वकील [illegible] न्यायालय में अनुपस्थित रहने का निर्णय लिया गया है। अतः पेशी मुलतवी होकर वकालती दिनांक 26-09-18 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट	
26-09-18	अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत उपस्थित। अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत को जवाब पेश करने का अवसर दिया जाने पर भी आज जवाब पेश करने में विलम्ब करने से जवाब प्रारम्भ बन्द किया जाता है। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रारम्भ अन्तर्गत धारा 136 राजस्व अधिनियम, 1956 का अधिनियम राजस्व अधिनियम, सरदर सोजत- सोजत वकील का पेश किया कि सरदर सोजत- सोजत वकील में वर्तमान बकाया सं0 2549 पुराना बकाया संख्या 2879 का खसरा नं0 385, 386, 552 व 557 P.T.O. उप खण्ड अधिकारी सोजत (जिला-पाली) राज	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	कुल किता 4 कुल रकबा 6=17 बीघा 2 बिस्वा ग्राम पं०, तह० सो०, जा० सो० स्थित की प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान के नाम की खातेदारी भूमि स्थित है। जिसमें प्रार्थी का 1/4 हक हिस्सा खातेदारी व काश्तकारी का ज्ञात व बनता है। उक्त भूमि के वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम हरिराम पुत्र भाजाराम बोलिया व साथ सोजत सिटी दर्ज है। लेकिन प्रार्थी के आधार कार्ड, परिचय कार्ड आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम हरिराम पुत्र भाजाराम लिखा हुआ तथा प्रार्थी के पिता के मृत्यु प्रमाण-पत्र में भी प्रार्थी के पिता का नाम भाजाराम लिखा हुआ है तथा सम्वत 2028 के सी2एफएल रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम मंगलाराम पुत्र भाजाराम लिखा हुआ है। प्रार्थी के पिता का सही व असली वास्तविक नाम भाजाराम है। उक्त दोनों नाम के एक ही व्यक्ति प्रार्थी के पिता भाजाराम के, जिनका देहान्त दिनांक 05-06-1998 को हो चुका है। उक्त नाम का कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। उक्त भाजाराम व भाजाराम एक ही व्यक्ति प्रार्थी के पिता थे। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम हरिराम पुत्र भाजाराम बोलिया के स्थान पर हरिराम पुत्र भाजाराम गलत अंकित हो गया, जिससे प्रार्थी को उनके हिस्से की भूमि पर चरण प्राप्त करने, सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करने आदि में काफी परेशानी हो रही है। प्रार्थी के उक्त भूमि के वर्तमान राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी दिनांक 03-05-2018 को, एवं मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2028-29 की जमाबन्दी दिनांक 15-05-2018 को प्राप्त करने पर गलत नाम दर्ज होने की जानकारी हुई। इसलिए प्रार्थना पत्र अधिवक्ता प्रार्थी ने विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी अन्तर्गत धारा 136 LR Act, 1956 के तहत अर्थ वर्तमान जमाबन्दी, जमाबन्दी सम्वत 2028 सी2एफएल मिसल रकबर 2028-29, जमाबन्दी सम्वत 2042-45, आधार कार्ड सं० 273661842948, परिवार कार्ड सं० 129 दिनांक 13-01-2009, तथा मृत्यु प्रमाण-पत्र दिनांक 31-07-2003 की Duplicate Copy आदि दस्तावेजात पेश किए हैं। इस प्रकार प्राप्त मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम हरिराम पुत्र भाजाराम के स्थान पर हरिराम पुत्र भाजाराम बोलिया दर्ज किये जाने की इजाजत दी है। इस पर राजस्व प्रकरण-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी गण जारिए नोटिस वास्ते जवाब प्राप्त तलब किया गया। जवाब प्राप्त

लगातार—

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

...या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

बाबपत्र जवाब देने पर को प्रश्न पत्र अभिभाषक से जवाब बाबत किया गया।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी व अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। किया कि दावा प्रार्थना पत्र में वर्णित व्यक्ति विवाहित आसारी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का गलत नाम हरिराम पुत्र मानाराम दर्ज हो गया जबकि जमाबन्दी सम्वत् 2028-29 से 2045 में मिसल बन्दोबस्त, मिलान रकबा, जमाबन्दी सम्वत् 2042-45, आधार कार्ड व परिवार कार्ड संख्या तथा मृत्यु प्रमाण-पत्र प्रार्थी के पिता अर्जुनराम हरिराम के पिता का वास्तविक नाम मानाराम होना बखूबी साबित है। अतः प्रार्थी एवं अधिवक्ता का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किये जाने तथा उक्त विवाहित आसामी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का गलत दर्ज नाम हरिराम पुत्र मानाराम के स्थान पर हरिराम पुत्र मानाराम दुरुस्त दर्ज किये जाने की इजाजत दी है। उपखण्ड तहसीलदार, सोजत को इस पत्र बहस के जवाब में कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं सम्बन्धित दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं उपखण्ड तहसीलदार, सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः मिलान रकबा में रकबा नं. 552 व 557 में वास्तविक खातेदार 345 व 386 की भूमि में मानाराम दर्ज है तथा सम्वत् 2028 से 2045 की भूमि में मानाराम दर्ज है, जो सम्वत् 2042-45 में सम्बन्धित जमाबन्दी में मानाराम दर्ज हो गया, जबकि जमाबन्दी सम्वत् 2046-49 में भी मानाराम सही उल्लेख है तथा वर्तमान में आधार कार्ड सं. 273661842948, परिवार कार्ड सं. 129 दि. 13-01-2009 में भी प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम मानाराम पुत्र मंगलाराम होना बखूबी प्रमाणित है। अधिवक्ता प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा प्रार्थी आसामी विवाहित आसामी के सम्बन्धित में प्रार्थी हरिराम पुत्र मानाराम के सम्बन्धित रिकार्ड में वास्तविक एवं सही नाम हरिराम पुत्र मानाराम दुरुस्त किया जाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया जाना उचित समझता हूँ।

— आदेश —

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 RAA, 1956 का स्वीकार किया जाता है।

P.T.O.

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुक्म जारी
	खीवाट मौजा होने से खीवाट विपक्षगण है। सरहद मौजा- सोजत चक I में स्थित खुशी रहाशी रकबा नम्बर वर्तमान 385,386, 552 व 557 कुल क्षेत्र 4 रकबा 06.17 हे0 है0 बंजड़, जा0सी0, जा0हे0, चा0सी0 भूमि बंजर राजस्व रेकर्ड में सिविल सफ भाविक रकबा गलत दर्ज प्रतिवादी हरिराम पुत्र भानाराम के स्थान पर सही व वास्तविक हरिराज पुत्र भानाराम की पुस्तक उपराज किये जाते हैं। तहसीलदार, सोजत को उक्त निर्णय की प्रति तहरीर कुसावर तहसीलदार, सोजत को भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें पुनरावलोकन स्वयं स्वयं होकर नम्बर से व्यस्त हो बाद तकमील जाबता फाईल दफ्तर लेखा जाया हो।	तारीख 8/9 4/12/18

(प्रियंका रवाना)
उप खण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज

निर्णय आज दिनांक 8-09-2018 को लिखवाया जाकर सर्व हजलास सुनाया गया।

(प्रियंका रवाना)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज